न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः—मुकेश कुमार मीणा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—45/18 (2018/00088) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लादु लाल उर्फ हजारी आत्मज किशन ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मदनलाल आत्मज किशन ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—भगवती पुत्री किशन ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—किशन आत्मज रामु ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा हाल निवास टीपुनाड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2—नारायणी पुत्री रामु पत्नि मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी बस स्टेण्ड टीपुनाड़ी तहसील सहाड़ा भीलवाड़ा
3—तहसीलदार एवं उपपंजीयक रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1.—हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2—महेन्द्र सिंह — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 24.10.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण के दादा व व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता रामू आत्मज एंकलिग ब्राहम्ण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात साबिक नम्बर 110 रकबा 15 बिस्वा 157 रकबा 14 बिस्वा 164 रकबा 5 बिस्वा 225 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा 227 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बिघा 18 बिस्वा भूमि खाता संख्या 1/151 पर दर्ज होकर ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मे स्थित थी। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 144 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा 216 रकबा 14 बिघा 217 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 16 बिघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 2/52 पर दर्ज होकर स्थित थी। जो भी रामू आत्मज एंकलिग ब्राहम्ण के खातेदारी हक से दर्ज होकर उनके कब्जे काश्त में वली आ रही थी। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 374 रकबा 6 बिघा 376 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बिघा 15 बिस्वा भूमि खाता संख्या 33 पर रामू आत्मज एंकलिग ब्राहम्ण के खातेदारी अधिकार से दर्ज होकर ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में दर्ज होकर स्थित थी। प्रमाण में छाया प्रति जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 व संवत 2013 से 2017 तक साथ प्रस्तुत है। उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी व पैतृक सम्पति है जो उनके नाम रामू आत्मज एंकलिग ब्राहम्ण के नाम से चली आ रही है। प्रार्थीगण के दादा रामू आत्मज एंकलिग जी की मुत्यु के पश्चात आराजी संख्या 104 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा, 110 रकबा

15 बिस्वा, 144 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा, 153 रकबा 1 बिघा 7 बिस्वा, 155 रकबा 18 बिस्वा, 157 रकबा 14 बिस्वा, 164 रकबा 5 बिघा, 216 रकबा 14 बिघा, 217 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा, 225 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा, 227 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा, 293 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा, 374 रकबा 6 बिघा, 376 रकबा 15 बिस्वा, 377/1 रकबा 1 बिघा, कुल किता 15 कुल रकबा 34 बिघा 16 बिस्वा भूमि विपक्षी 1 किशन आत्मज रामू व झमकु बेवा रामू के नाम विरासत से दर्ज हुई। प्रताण में छाया प्रति जमाबंदी संवत 2047 से 2050 तक साथ प्रस्तुत है। हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है जिसका सजरा इस प्रकार है:—

एकलिंग
|
रामू
|
किशनलाल | नारायणी | झमकु फौत

किशनलाल
|
लादुलाल उर्फ हजारी | मदनलाल | भगवती

उक्त सजरेनुसार इस हिन्दु संयुक्त परिवार में मूल पुरूस एकलिंग जी थे, उनके एक पुत्र रामू हुआ, रामू के एक पुत्र किशनलाल व एक पुत्री नारायणी व बेवा झमकु थी जो फौथ हो गई तथा किशनलाल के हम वादीगण प्रथम वारीस है। उक्त वर्णित भूमियां विरासत से विपक्षी संख्या 1 जो प्रार्थीगण के पिता है को प्राप्त हुई है व उनके साथ उनकी माता झमकु बेवा रामू का नाम भी दर्ज हुआ परन्तु बाद में विपक्षी संख्या 2 ने भी विरासत में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उक्त वर्णित भूमियो के सम्बन्ध में ग्राम नान्दुड़ा का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें उक्त साबिक आराजियात के नवीन नम्बर — 125 रकबा 0.40 हैक्ट., 130 रकबा 0.16 हैक्ट., 179 रकबा 0.38 हैक्ट., 188 रकबा 0.29 हैक्ट., 190 रकबा 0.20 हैक्ट., 192 रकबा 0.15 हैक्ट., 202 रकबा 0.05 हैक्ट., 262 रकबा 3.02 हैक्ट., 263 रकबा 0.26 हैक्ट., 351 रकबा 0.24 हैक्ट., 599/469 रकबा 0.51 हैक्ट., कुल किता 11 कुल रकबा 5.66 हैक्ट. कायम किये गये। प्रमाण में छाया प्रति जमाबन्दी 2073 से 2075 तक साथ प्रस्तुत है। उक्त वर्णित भूमियां पूर्व में विपक्षी सख्यां 1 के नाम दर्ज हुई। बाद में विपक्षी संख्या 2 जो की विपक्षी 1 1 की सगी बहिन है ने अपना नाम भी उक्त वर्णित भूमियों दर्ज करवाया और बाद में विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को बहला फुसला कर विपक्षी संख्या 1 के हिस्से की भूमि को विक्रय कराने पर आमादा हुई जब कोई ग्राहक नही मिला तो उसने विपक्षी संख्या 1 के हिस्से की 1/2 भूमि भी स्वंय के नाम हक त्याग से रजिस्ट्री करवा ली और सम्पूर्ण भूमिया विपक्षी संख्या एक दो के नाम दर्ज करवा ली। उसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा उक्त हक त्याग पत्र को निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय गंगापुर में विपक्षीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 50/2015 होकर बअनवान

लादुलाल–बनाम–किशनलाल है तथा इस वादपत्र में पूर्व ही प्रार्थीगण द्वारा एक वादपत्र माननीय न्यायालय में बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 50/2015 रे0 वाद है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण आपस में सहमति से सिविल न्यायालय के मामले में राजीनामा प्रस्तुत किया और विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो हक त्याग का निद्दादन करवाया उसको निरस्त घोषित किया गया। जिससे पुनः उक्त वर्णित भूमिया विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्से से खातेदारी से दर्ज की गई तथा माननीय न्यायालय में जो वादपत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया उसमे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को आश्वासित किया गया की तुम मुकदमा उठा उठा लो, हम तुम्हारे हिस्से की भूमि तुम्हारे नाम करवा लेंगे। जिससे प्रार्थीगण उक्त वाद पत्र को उठा लिया किन्तु उसके पश्चात विपक्षीगण की नियत में फितुर आ गया और प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि प्रार्थीगण के नाम नही करवाई इसलिये प्रार्थीगण को पुनः वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा है। प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 जो कि उनका सगा पिता है और प्रार्थीगण उनके जायनदा पुत्र व पुत्री होकर प्रथम श्रेणी के वारिस है फिर भी आज से करीब 32–33 वर्ष पूर्व जब प्रार्थी छोटे छाटे थे तब विपक्षी संख्या एक ने प्रार्थीगण सहित उनकी माता कंचनदेवी को घर से मारपीट करके निकाल दिया। तब से ही माता प्रार्थीगण को लेकर अपने पीहर ग्राम डेलाना तहसील सहाड़ा में रह रही है। कुछ समय पूर्व सन् 2015 में प्रार्थी मदनलाल ग्राम नान्दुड़ा में गया और वहा निवास की खेती बाड़ी व मजदुरी कर रहा है। प्रार्थीगण की परवरिश, भरण पोषण, शादिया सब उनकी माता कंचनदेवी ने ही करवायी है और विपक्षी संख्या 1 ने करीब 32–33 वर्षो से प्रार्थीगण एवं उनकी माता विपक्षी संख्या 1 की पत्नि का त्याग कर रखा है और भूमियो को पुनः अन्तरित करने पर आमादा है। उक्त वर्णित भूमिया प्रार्थीगण की पुश्तैनी व पैतृक भूमिया है। जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या एक के 1/2 हिस्से में 3रु4 भाग यानि सम्पूर्ण भूमिया में 3/8 हिस्सा संयुक्त रूप से निहित है तथा 1/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 का निहीत है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि होने से जन्म से मह व अधिकार है और व सम्पूर्ण भूमियो में अपना 3/8 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। विपक्षीगण ने दिनांक 27.03.2018 को प्रार्थीगण को धमकी दी की हमने तुम्हारे विरूद्व भरण पोषण का झुठा दावा कर दिया है और अब विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमियो को भी विकष्कर पैसा प्राप्त कर लेंगे व तुम्हारे हिस्से की भूमि पर कब्जा करेंगे व तुम्हे बेदखल करके रहेंगे। जिससे विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है तथा साथ ही भूमिया सामलाती दर्ज रहने से एवं अविभक्त रहने से प्रार्थीगण को लगान जमा कराने एवं भूमियो को विकसित करने, ऋण आदि प्राप्त करने में भारी अड़चनो का सामना करना पड़ता है। जिससे प्रार्थीगण अपने 3/8 हिस्से की घोषणा करवा अपने 3/8 हिस्से का उक्त वर्णित भूमियो का विभाजन करवा अलग से राजस्व खाता कायम कराने का अधिकारी है। वादीगण प्रार्थीगण उक्त अनवान का एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,188,53 रा0टि0एक्ट के तहत्प्रतिवादीगण विपक्षीगण के विरूद्व न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर दिया है जो काफि ठोस तथ्यो

पर आधारित होने से प्रार्थीगण का वादपत्र आवश्यमेव डिक्री होगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण का हिस्सा भी उनके नाम पर गलत रूप से दर्ज हो जाने का नाजायज लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर देगा या विपक्षीगण हमें हमारे जायज हक अधिकार की भूमि सक जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे या हमारे शानित पूर्वक कब्जे काश्त में नाजायज दखलदांजी करेंगे तो हम प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति का अंकन नकदी में दही किया जा सकेगा तथा दरम्यान पक्षकारान आपस में कई तरह के वाद विवाद बढ़ जावेंगे। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैंसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16.05.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता महेन्द्रसिंह चुण्डावत उपस्थित है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिलिपी प्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई जाकर सामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को हक व हिस्से की भुमि से बेदखल नही करे और उनको शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे एवं भूमिया विपक्षीगण के नाम पर होने का नाजायज लाभ उठाकर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को किसी अन्य को रहन, बय ,बक्षीस या अन्य किसी तरह से हस्तान्तरित नही करे मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूल वाद तक जारी की जाती है। उक्त पत्रावली मूल पत्रावली संख्या 35/18 के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मुकेश कुमार मीणा
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्डअधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.04 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: